उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 11.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 11.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

- **पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के थानो की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'शक्ति दीदी' अभियान।**
- **महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर पंपलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए किया जागरुक।**

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलमंबन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 11.07.2025 को मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा के थाना खन्ना एवं खरेला की एण्टी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूलो/कॉलेजो, गांवों/कस्बो, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों आदि के आस-पास मिशन शक्ति एवं शक्ति दीदी अभियान के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाईन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-112, हेल्प लाइन-181, वुमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सी0एम0 हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेन्टर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102, एंबुलेंस सेवा-108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरुक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओँ (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरुक किया।

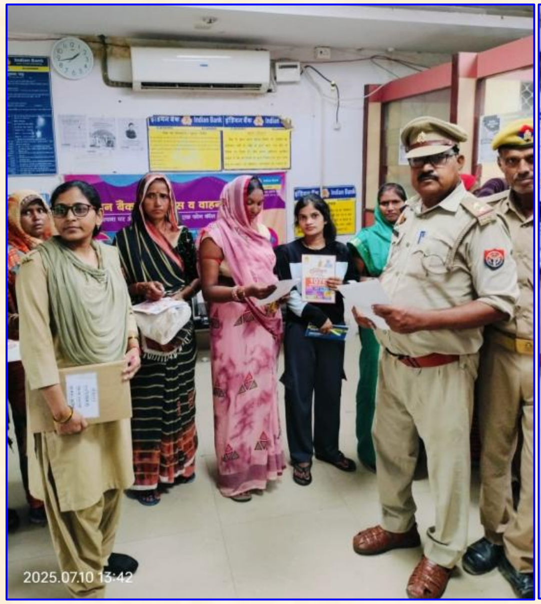

महोबा पुलिस

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांकः- 10.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह व कां राहुल कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थानाक्षेत्र के खिरुही मोड तिराहा बहद ग्राम तिन्दुही के पास से अवैध शराब के साथ अभियुक्त गनेश खंगार पुत्र मूलचन्द्र उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम अटघार थाना खन्ना जिला महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभि0 के कब्जे से एक थैले में 16 अदद क्वाटर ठेका देशी शराब मस्ती ब्राण्ड नाजायज बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना खन्ना में मु.अ.सं. 79/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

गनेश खंगार पुत्र मूलचन्द्र उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम अटघार थाना खन्ना जनपद महोबा

बरामदगी का विवरणः-

एक थैले में 16 अदद क्वाटर ठेका देशी शराब मस्ती ब्राण्ड नाजायज बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ. नि. लक्ष्मीनारायण सिंह
2. कां राहुल कुमार

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

साप्ताहिक शुक्रवार परेड में पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन पहुंच परेड की सलामी ली गई...

रिक्रूट आरक्षियों को अनुशासन, स्वच्छता एवं कर्तव्यनिष्ठ की दी प्रेरणा-

आज दिनांक- 11.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस लाइन पहुंच सप्ताहिक शुक्रवार परेड की गरिमामयी सलामी ली गई। परेड उपरांत टोलीवार निरीक्षण किया गया। इस दौरान सभी टोलियों को अनुशासन, एकरूपता एवं तालमेल के लिए ड्रिल अभ्यास कराया गया। साथ ही शारीरिक दक्षता बढ़ाने हेतु दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कर पुलिस कर्मियों को मानसिक व शारीरिक रूप से सजग रहने का संदेश दिया।

परेड उपरांत पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को संबोधित कर उन्हें पुलिस सेवा की व्यवहारिक चुनौतियों और कार्यशैली से अवगत कराया गया साथ ही अनुशासन, संवेदनशीलता और जनसंपर्क के मूल मंत्र देते हुए, उन्हें कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दी गई।

अपने प्रेरणादायी संबोधन में उन्होंने रिक्रूट्स को पुलिस सेवा की गरिमा, व्यवहार की मर्यादा, परिसर की स्वच्छता, तथा एकजुटता से कार्य करने के महत्व पर विशेष बल देते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया।

इसके उपरान्त अर्दली रूम कार्यवाही के तहत विभिन्न शाखाओं, गार्द रजिस्टरों एवं कार्यालय व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्य के प्रति सजग रहते हुए कार्य संस्कृति में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।

इस दौरान आरआई श्री शिवकुमार, सीए श्री जाकिर हुसैन सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

कांवड़ियों से विनम्र अपील

श्रावण मास के पावन अवसर पर निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश एवं जनपद झांसी, हमीरपुर क्षेत्र से विभिन्न श्रृद्धालु जनपद महोबा के विभिन्न क्षेत्रों से होकर निकलते हुए चित्रकूट धाम में जलाभिषेक के लिए जाते हैं। आपकी यह यात्रा श्रद्धा व आस्था से परिपूर्ण होती है और जनपद महोबा पुलिस का संकल्प है कि आपकी यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुखमय हो। इसी उद्देश्य से आपसे विनम्र अपील है कि:

- लोडर वाहनों में यात्रा न करें – यह आपकी जान के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है।
- दो व चार पहिया वाहनों पर क्षमता से अधिक सवारी न करें।
- सड़क किनारे लेटने या विश्राम करने से बचें – दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
- बरसात का मौसम है, बिजली के खंभों व खुले तारों से दूर रहें।
- यातायात नियमों का पालन करें- तेज गति में वाहन न चलाएं, गति पर नियंत्रण रखें।
- एक-दूसरे की सहायता करें, अनुशासन बनाए रखें।

आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प है!
जनपद महोबा पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है।

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा छिनैती की घटना का किया गया सफल अनावरण, घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन सहित अवैध तमंचा/कारतूस व गांजा बरामद।

दिनांक 10.07.2025 को वादी चन्द्रपाल कुशवाहा पुत्र परमलाल निवासी ग्राम रगौलिया बुजुर्ग थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा के साथ थाना अजनर क्षेत्रान्तर्गत लेवा चौराहा के समीप कुछ अभियुक्तों द्वारा वादी की जेब से मोबाइल फोन व 800/- रुपये छीनकर भाग जाने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अजनर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर 04 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0स0 153/2025 धारा 304 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तों की शीघ्र गिऱफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए जनपद स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना स्तर पर 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया।

गठित पुलिस टीम ने आज दिनांक 11.07.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर घटना मे संलिप्त 03 नफर अभियुक्तों को थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थलों (लेवा रोड, कल्ला पहाडिया अकौना, सतलेडी पुलिया अरघटमऊ) से 03 नफर अभियुक्तों क्रमशः 1.मुकेश कुमार यादव उर्फ डाक्टर 2.पुष्पेन्द्र सिंह यादव 3.शत्रुघन यादव को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी भी शीघ्र सुनिश्चित की जायेगी। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध शस्त्र व गांजा की बरामदगी होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0स0 154/25, 155/25 व 156/25 का अभियोग पंजीकृत करते हुये बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 राजेश कुमार 2.उ0नि0 शिवदान सिंह
3.व0उ0नि0 कन्हैयालाल 4.उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी
5. का0 प्रताप विक्रम सिंह 6.का0 आशीष कुमार सरोज 7. का0 नरेन्द्र बाबू

गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी विवरणः-

1. मुकेश कुमार यादव उर्फ डाक्टर पुत्र उनुवा यादव उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम मझगवांखुर्द थाना अजनर जनपद महोबा के कब्जे से रुपये 200नगद व एक अदद तमंचाबोर 315 कारतूस/ नाजायज बरामद हुआ।
2. पुष्पेन्द्र सिंह यादव पुत्र जगत सिंह यादव उम्र करीब 29 वर्ष निवसी ग्राम सुगिरा थाना कुलपहाड जिला महोबा के कब्जे से 200 रुपये नगद व 357 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद हुआ ।
3. शत्रुघन यादव पुत्र सन्तराम यादव उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम मझगवा थाना अजनर जनपद महोबा के कब्जे से 01 अदद मोबाइल OPPO A5 5G व 200 रुपये नगद सहित 372 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद हुआ ।

महोबा पुलिस

महोबा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत बड़ी कार्यवाही की गयी है।

गैंगस्टर एक्ट के तहत 02 शातिर अभियुक्तों की अपराध से अर्जित सम्पत्ति को चिन्हित की गयी जिसकी अनुमानित कीमत कुल ₹1.5 करोड़ से अधिक है को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त/कुर्क किया गया है

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा अनुरूप जनपद में संगठित अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों पर सख्त कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में थाना कबरई पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट 3(1) के अंतर्गत अपराधियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है।

अपराधियों का विवरण निम्नवत है:-

1. अभियुक्त अनिल उर्फ अन्नी सोनी पुत्र केशव प्रसाद सोनी, निवासी चौबट्टा/कुर्रा/पचनंदू थाना राठ, जनपद हमीरपुर की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया।
मु0अ0सं0: 205/2023, धारा: 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना: कोतवाली नगर महोबा
जब्त संपत्तियों में भूमि, भवन आदि शामिल हैं।

2. अभियुक्त अनिल उर्फ लल्ला पुत्र मैयादीन राजपूत, निवासी कुर्रा, थाना राठ, जनपद हमीरपुर की अवैध संपत्ति जब्त की गई।
मु0अ0सं0: 205/2023, धारा: 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना: कोतवाली नगर जनपद महोबा।

इस प्रकार गैंगस्टर एक्ट के तहत अनुमानित कीमत कुल ₹1,50,00,000 (₹ 1.5 करोड) मूल्य की संपत्ति को जब्त कर कार्रवाई की गई है।

यह कार्यवाही जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की सख्त नीति और "अपराध मुक्त समाज" की दिशा में एक और बड़ा कदम है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

अभियुक्त अन्नी उर्फ अनिल सोनी पुत्र केशव प्रसाद सोनी का अपराध विवरण

1. मु0अ0सं0 78/23 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर महोबा
2. मु0अ0सं0 23/2021 धारा 120बी/195 थाना राठ हमीरपुर
3. मु0अ0सं0 40/16 धारा 319ए) सीएलए एक्ट व 147/149/341 भा.द.वि. थाना राठ
4. मु0अ0सं0 402/2018 धारा 143/188 भा.द.वि. थाना राठ जिला हमीरपुर
5. मु0अ0सं0 601/2012 धारा 307/504 भा.द.वि. थाना राठ जिला हमरीपुर
6. मु0अ0सं0 934/2013 धारा 13 जी एक्ट थाना राठ जिला हमीरपुर
7. मु0अ0सं0 1015/13 धारा 323/354बी/376/504/506 भा.द.वि. थाना राठ जिला हमीरपुर

अभियुक्त अनिल उर्फ लल्ला पुत्र मैयादीन राजपूत का अपराध विवरण-

1. मु0अ0सं0 78/23 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर महोबा,
2. मु0अ0सं0 54/23 धारा 3(1)यू.पी गैंगेस्टर एक्ट थाना कुलपहाड़,
3. मु0अ0सं0 174/21 धारा 380/411/457 थाना कुलपहाड़
4. मु0अ0सं0 0190/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुलपहाड़
5. मु0अ0सं0 270/18 धारा 380/411/457 भा.द.वि. व 41 सीआरपीसी थाना राठ हमीरपुर
6. मु0अ0सं0 273/18 18 धारा 380/411/457 भा.द.वि. व 41 सीआरपीसी राठ हमीरपुर
7. मु0अ0सं0 199/2007 थाना राठ जिला हमीरपुर
8. मु0अ0स0 200/2007 थाना राठ जिला हमीरपुर
9. मु0अ0स0 983/2007 थाना राठ जिला हमीरपुर।

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
2. व.उ.नि. मलखान सिंह 3. कां. राजेन्द्र प्रसाद 4. कां. धर्मेन्द्र 5. कां. अंकित पटेल

सहित सम्बन्धित स्थानीय पुलिस एवं राजस्व टीम मौजूद रही।

Proceeds Of Crime Forfeited

@MahobaPolice

गैंगस्टर अपराधी अनिल उर्फ अन्नी सोनी व अनिल उर्फ लल्ला निवासी थाना राठ, जनपद हमीरपुर के विरुद्ध धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये कुल 01 करोड़ 50 लाख की सम्पति की कुर्की/जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है।